



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 809) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

सं० पर्यटन(स्था)०-11 / 2026 / 2023—प०वि०
पर्यटन विभाग

संकल्प

16 जुलाई 2026

विषय:- राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत “बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)” का गठन के संबंध में।

देश में पर्यटन गंतव्यों तक सुगमतापूर्वक पहुँच हेतु सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन के रूप में एरियल रोपवे फ्यूनिकुलर रेलवे, केबल कार, चेयरलिफ्ट, स्की-लिफ्ट, मोनोरेल तथा अन्य इससे संबंधित परिवहन प्रणालियों पर अभिकल्पन तथा योजना निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह परिवहन प्रणाली आधुनिक शहरी परिवहन और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है। यह दुर्लभ पहाड़ी इलाकों अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले शहरों और पर्यटन स्थलों के लिये सबसे उपयोगी और टिकाऊ परिवहन माध्यम माना जाता है। उक्त के निर्माण कार्य में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, इससे भूमि अधिग्रहण का विवाद और खर्चा बहुत कम हो जाता है। इस प्रणाली का संचालन विद्युत के माध्यम से किया जाता है, इस कारण यह इको फ्रेंडली है। बिहार राज्य में भी वर्तमान में दो पर्यटन स्थलों यथा विश्वशांति स्तूप, राजगीर एवं मंदार पर्वत बाँका पर रोपवे निर्माण करते हुए इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है तथा छः नये पर्यटन स्थलों पर रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी उपयोगिता एवं महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई अन्य योजनाओं के सूत्रण के संबंध में भी विचार किया जा रहा है। उक्त सभी कार्यों से संबंधित योजनाओं का चरणवद्ध तरीके से प्रभावी निर्माण एवं संचालन के साथ पर्यवेक्षण हेतु “बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)” के नाम से एक नयी कंपनी का गठन किया गया है।

2. उक्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय (मुख्यालय) बिहार राज्य में स्थित होगा। कंपनी का मुख्य उद्देश्य बिहार तथा भारत के अन्य भागों में पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एरियल रोपवे, फ्यूनिकुलर रेलवे, केबल कार, चेयरलिफ्ट, स्की-लिफ्ट, मोनोरेल तथा अन्य यात्री एवं अन्य सामग्री परिवहन प्रणालियों का योजना निर्माण, अभिकल्पन, अभियंत्रण, निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग, संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना होगा। इसके अतिरिक्त रोपवे टर्मिनलों के आसपास ईको-पर्यटन पार्क, टिकटिंग काउंटर, यात्री सुविधाएँ, प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, पार्किंग क्षेत्र तथा आतिथ्य सेवाओं सहित आवश्यक अन्य सहायक आधारभूत संरचना तथा पर्यटकीय विकास एवं

प्रबंधन किया जाएगा। कंपनी यांत्रिक परिवहन प्रणालियों एवं एरियल रोपवे से संबंधित अभियंत्रण परामर्श, सुरक्षा अंकेक्षण, गुणवत्ता आश्वासन तथा परियोजना प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करेगी।

3. उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को रोपवे संरक्षण एवं स्टेशनों हेतु सरकारी विभागों, वन विभाग अथवा निजी स्वामियों से भूमि, मार्गाधिकार एवं आवश्यक रियायतें प्राप्त करने, बिहार सरकार, भारत सरकार अथवा अन्य एजेंसियों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), Build-Operate-Transfer (BOT) अथवा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के माध्यम से परियोजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन करने तथा उच्च सुरक्षा मानकों वाले रोपवे संचालन हेतु आवश्यक विशेष स्टील रोप, केबिन, ग्रिप सिस्टम एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों एवं इससे संबंधित अन्य उपकरणों का आयात, निर्यात अथवा निर्माण करने का अधिकार होगा।

4. कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर, यदि कोई अवैतनिक राशि शेष हो, उसी सीमा तक सीमित रहेगा। कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) होगी, जिसे ₹10/- (रुपये दस) अंकित मूल्य वाले 1,00,00,000 (एक करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। कंपनी का गठन, उसका ज्ञापन (Memorandum of Association) (अनुलग्नक-1) एवं अनुच्छेद (Articles of Association) (अनुलग्नक-2) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संपादित किए जाएंगे। कंपनी के निदेशक मंडल, शेयर पूंजी, साधारण सभा, निदेशक मंडल की बैठकें, लेखा परीक्षण, शेयरों के आवंटन, हस्तांतरण तथा अन्य सभी प्रशासनिक एवं वैधानिक विषय कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं स्वीकृत ज्ञापन एवं अनुच्छेद के अनुसार विनियमित होंगे।

5. राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत “बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)” के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.07.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-17 के रूप में प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(हो) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 809-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>